न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 05/2022

अपीलान्टान	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1. ट्रस्ट :— ओम श्री अलखपुरी जी सिद्धपीठ परम्परा ट्रस्टी/अध्यक्ष परमहंस स्वामी महेश्वरानन्दपुरी जी महाराज निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल आश्रम, जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान जरिये आम मुख्तियारः— स्वामी फुलपुरी शिष्य स्वामी परमहंस महेश्वरानन्दपुरी जी उम्र 29 वर्ष जाति देवासी निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल आश्रम, जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान		1. सरपंच ग्राम पंचायत धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध बासनी तिलवाड़िया ना.स. 1980 स्वीकृत दिनांक 13.12.2018 सरपंच ग्राम पंचायत धाकड़ी

तारीख रजू :— 30.03.2022

उपस्थितिः—

1. श्री किशन सोनी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 01.06.2022

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 230 के खसरा नबंर 820 रकबा 0. 1500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान 0.75 रूपये की स्थित है। उपरोक्त वर्णित खसरानबंरान की कृषि भूमि दानदाता झुंझारसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी बागावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान वालों ने उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट ट्रस्ट को जरिये रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांक 26/09/2018 को निष्पादित की थी, जो बक्सीसनामा दिनांक 27/9/2018 को उप पंजीयन कार्यालय सोजत में पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 21 पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 201803216102747 पर पंजीबद्ध किया गया है। अपीलाण्ट ट्रस्ट ने उक्त बक्सीसनामा मुख्य ट्रस्टी महामण्डलेश्वर परमहंस महेश्वरानन्दपुरी शिष्य परमहंस स्वामी श्री महात्मानन्द जाति गारो निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल स्वामी महेश्वरानन्दपुरी आश्रम, शिक्षा एवं शोध संस्थान जाडन खालसा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान वालों ने उपरोक्त वर्णित खसरा नबंर की भूमि को दानकर्ता झुंझारसिंह से अपनी ट्रस्ट के नाम से बक्सीसग्रहण करने हेतु आम मुख्तियारनामा अपने शिष्य स्वामी फुलपुरी शिष्य स्वामी परमहंस महेश्वरानन्दपुरी जाति देवासी निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल आश्रम, जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के पक्ष में आम मुख्तियारनामा 500/— रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 23/09/2018 को गवाह लक्ष्मणदान एवं सुरेश पंवार की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपस्थिति में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक दुर्गादास राठौड़ अधिवक्ता सोजतसिटी से तस्दीक करवाया। जिसके तहत स्वामी फुलपुरी ने उक्त बक्सीसनामा को ट्रस्ट के लिए ग्रहण किया था। उक्त बक्सीसनामा के जरिये राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का धाकड़ी के मार्फत ट्रस्ट के नाम म्यूटेशन इन्द्राज करवाने के लिए दिया गया था, लेकिन पटवारी हल्का धाकड़ी व सरपंच ग्राम पंचायत धाकड़ी ने म्यूटेशन संख्या 1980 दिनांक 13/12/2018 को ट्रस्ट की बजाय महामण्डलेश्वर परमहंस स्वामी महेशवरानन्दपुरी शिष्य परमहंस स्वामी माधवानन्द जाति गर्ग (गारो) निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल स्वामी महेशवरानन्द आश्रम शिक्षा एवं शोध संस्थान जाडन खालसा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के नाम गलत इन्द्राज किया गया है,जबकि उक्त कृषि भूमि ट्रस्ट :– ओम श्री अलखपुरी जी सिद्धपीठ परम्परा ट्रस्टी/अध्यक्ष परमहंस स्वामी महेश्वरानन्दपुरी महाराज निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल आश्रम, जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान के नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। क्योकि उक्त कृषि भूमि ट्रस्ट को ही दान की गई है, और ट्रस्ट ही इसकी एकमात्र मालिक/स्वामी है तथा दानग्रहिता स्वामी फुलपुरी ने भी ट्रस्ट के नाम से ही उक्त कृषि भूमि को ग्रहण किया है। अपीलाण्ट ट्रस्ट के ट्रस्टीगणों को उक्त म्यूटेशन के बारे में व ट्रस्ट की बजाय गलत नाम से इन्द्राज होने की जानकारी होने पर दिनांक 18/02/2022 को तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र शुद्धि हेतु प्रस्तुत किया, तब तहसीलदार सोजत द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगवायी गयी, जिस पर पटवारी हल्का धाकड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03/03/2022 को पेश की, तथा साथ ही राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में नाम परिवर्तन करने के कारण उक्त शुद्धि करने का अधिकार न्यायालय हाजा को होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा उक्त म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 11/03/2022 को प्राप्त करने से उक्त म्यूटेशन अपील अन्दर म्याद पेश है। म्यूटेशन संख्या 1980 दिनांक 13/12/2018 को ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा स्वीकृत किये जाने से न्यायालय हाजा को यह अपील श्रवण करने का क्षैत्राधिकार होने से उक्त अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश है वादस्थ कृषि भूमि भूमि धारक तहसीलदार सोजत के अधीनस्थ आयी हुई है तथा पटवारी धाकड़ी तहसीलदार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 तहसीलदार भूमि धारक के अधीनस्थ है, तथा उक्त म्यूटेशन ग्राम पंचायत धाकड़ी से स्वीकृत करवाया गया है, इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 तहसीलदार (भूमि धारक) को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः म्यूटेशन अपील मय शपथपत्र पेश कर अधिवक्ता मय अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि नामान्तरण संख्या 1980 दिनांक 13/12/2018 को ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा महामण्डलेश्वर परमहंस स्वामी महेशवरानन्दपुरी शिष्य परमहंस स्वामी श्री माधवानन्द जाति गर्ग (गारो) निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल स्वामी महेशवरानन्द आश्रम शिक्षा एवं शोध संस्थान जाडन खालसा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली को निरस्त फरमाया जाकर उसके स्थान पर ट्रस्टः– ओम श्री अलखपुरी जी सिद्धपीठ परम्परा ट्रस्टी/अध्यक्ष परमहंस स्वामी महेश्वरानन्दपुरी जी महाराज निवासी ओम श्री विश्वदीप गुरूकुल आश्रम, जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान के नाम से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरे जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने जबाब पेश किया सा0मि0 हो। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बावजूद तामिली/सुचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 01.06.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्तागण अपीलान्ट उपस्थित को सुना गया। वस्तुतः सरपंच ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1980 स्वीकृत दिनांक 13/12/2018 बिना विधिक जांच किए भरा गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है, जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना, उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ कि वे अपीलान्ट का नामान्तरण संख्या 1980 स्वीकृत दिनांक 13/12/2018 ग्राम पंचायत धाकड़ी को खारिज किया जाकर आम मुख्तियारनामा दिनांक 23.09.2018 व बक्सीसनामा दिनांक 26.09.2018 के आधार पर विधिक रूप से पुनः जांच करके नामान्तरकरण पारित करें, प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार जाती है। अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या नामान्तरण संख्या 1980 स्वीकृत दिनांक 13/12/2018 विधि–विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को नामान्तरकरण संख्या 1980 इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि वे नामान्तरण संख्या 1980 स्वीकृत दिनांक 13/12/2018 का पुनः नये सिरे से जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत